

## राज्य योजना अन्तर्गत वर्षाश्रित क्षेत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुदेश (वर्ष 2014-15)

### 1. प्रस्तावना

बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टर है जिसका बड़ा भू-भाग भू-क्षरण से प्रभावित है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में बिहार के उप पठारी जिले यथा जमुई, बाँका, मुँगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर में राज्य योजना संचालित की जा रही है। भू-क्षरण से प्रभावित इन क्षेत्रों में निम्न कार्य चिन्हित किये गये हैं :-

- Run off Management Structure के अन्तर्गत मिट्टी के बँध एवं तालाब का निर्माण।
- वर्षाश्रित क्षेत्रों में सिंचाई एवं भूगर्भ जल पुनर्भरण (Ground Water recharge) हेतु पक्का चेक डैम का निर्माण।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ उनकी निजी भूमि में फलदार पौधों का रोपण।

### 2. योजना का उद्देश्य

- फसलोत्पादन, उद्यान विकास एवं मत्स्यपालन आदि कार्यों के लिये वर्षा जल का अधिक से अधिक संरक्षण कर भूमिगत जलस्तर को उपर लाना तथा क्षेत्र के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना।
- बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी उन्मूलन में सहायता करना।
- मनुष्य एवं पशुओं पर मौसम की विभीषिका के प्रभाव को कम करना।
- वर्षाश्रित क्षेत्रों के हरित क्षेत्र में वृद्धि लाना।
- प्राकृतिक संसाधनों का विकास कर पर्यावरण को संतुलित करना।
- स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर प्रभावी संरचनाओं का निर्माण करना।

### 3. योजना कार्यान्वयन प्राधिकार

बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसाइटी

### 4. राशि का प्रवाह

राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के पश्चात भूमि संरक्षण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। बिहार वाटरशेड डेवलपमेंट सोसायटी से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर निधि का हस्तांतरण किया जायेगा। सोसायटी द्वारा निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना के परामर्श से संबंधित जिलों के कार्यान्वयन एजेंसी (भूमि संरक्षण पदाधिकारी/सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण) को राशि उपलब्ध कराया जायेगा एवं इसकी सूचना सम्बंधित जिला के उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण को दी जायेगी। सोसायटी तथा कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर पर योजना का अलग से बैंक खाता तथा लेखा का संधारण किया जायेगा।

### 5. कार्य के लिये दर का निर्धारण एवं तकनीकी स्वीकृति :-

- राज्य योजनान्तर्गत सभी कार्यों के लिये कार्य विभाग द्वारा प्रमंडल में लागू अनुसूची दर इस योजना में भी लागू होगा तथा श्रम विभाग द्वारा लागू न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी भुगतये होगा।
- विभिन्न प्रकार के संरचनाओं का निर्माण सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

